न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 90/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/118)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. कीर सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. गिरदावर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. काकड सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी सी/ओ नक्षत्र कौर पत्नी नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. नक्षत्र कौर पत्नी नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. सिमरनजीत कौर उर्फ रामपाल कौर पत्नी गुरमीत सिंह पुत्री नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 16.04.2025

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2.श्री इकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

——निर्णय—— **दिनांकः 26.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 23/21 के मुरब्बा नम्बर 4, 12, 24,25, 26, 29, 31, 32, 42, 44, 51, 52,53, 55/2, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/41 की कुल 21.700 हैक्टेयर, भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त रूप से वर्णित है, लेकिन वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपसी सहुलियत से उक्त भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने रकबा पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन भूमि का आज तक विधिवत जोत विभाजन नही हुआ है। इस कारण वादीगण उक्त भूमि का विभाजन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में दावा पेश कर रहे है। उक्त रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार विभाजन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा राजस्व अभिलेख में खाता दर्ज करवाना चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से 15 रोज पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण से मिले और उनसे कहा कि वह उक्त भूमि में जो उनके हिस्सा में घरू बंटवारानामा अनुसार आई है, के नाम करवा देवे तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करे तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 23/21 के मुरब्बा नम्बर 4, 12, 24,25, 26, 29, 31, 32, 42, 44, 51, 52,53, 55/2, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/41 की कुल 21.700 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 23/21 के मुरब्बा नम्बर 4, 12, 24,25, 26, 29, 31, 32, 42, 44, 51, 52,53, 55/2, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/41 की कुल 21.700 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण कौर सिंह, गिरदावर सिंह व प्रतिवादीगण गुरजीत सिंह, जसविन्द्र कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 4086 दिनांक 24.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 23/21 के मुरब्बा नम्बर 4, 12, 24,25, 26, 29, 31, 32, 42, 44, 51, 52,53, 55/2, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/41 की कुल 21.700 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गिरदावर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.760 हैक्टेयर)	11 एच	29	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			53/39		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	कौर सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.012 हैक्टेयर)	11 एच	29	11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			44	4	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				5	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
				7	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.47
			55/40		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3	गुरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.142 हैक्टेयर) जसविन्द्र कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.301 हैक्टेयर)	11 एच	42	4 5 6 7 14 15	0.253 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.10 1.89 1.89 2.10 2.10 1.89

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर